

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17 पार्ट2/2018/1359 दिनांक:- 8/10/2018

### आदेश

अधीक्षक , सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर में कार्यरत निम्नांकित नर्स - 2 के उनके नाम के सम्मुख अंकित अवकाश के कारणों के फलस्वरूप निम्नानुसार अंकित असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम /पिता /पति का नाम	दिनांक तक	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का कारण
1	प्रभावती बाई मीण	27.2.16	28.2.16	02 दिवस	पारिवारिक कारण
2	ममता कुमारी	28.2.16 2.11.16 1.12.16	31.3.16 2.12.16	33 दिवस 01 दिवस 02 दिवस	पारिवारिक कारण
3	सरोज कुमारी	1.10.16 1.11.16	8.10.16	08 दिवस 01 दिवस	पारिवारिक कारण
4	सीमा वर्मा	29.1.17	27.2.17	30 दिवस	पारिवारिक कारण
5	अंजना	26.2.16 09.12.16 13.5.17	28.2.16 14.5.17	03दिवस 01 दिवस 02 दिवस	पारिवारिक कारण
6	बसन्ती माली	11.4.17		01 दिवस	पारिवारिक कारण
7	चन्द्र किरण	23.9.16	14.11.16	53 दिवस	पारिवारिक कारण
8	सुप्रिया बैरवा	04.3.16	17.3.16	14 दिवस	पारिवारिक कारण
9	अंजना/अशोक	26.2.16 09.2.16 13.5.17	28.2.16 14.5.17	03 दिवस 01 दिवस 02 दिवस	पारिवारिक कारण
10	पिंकी चौधरी	26.11.16	29.11.16	04 दिवस	पारिवारिक कारण

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

84  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17 पार्ट2/2018/1359

दिनांक:- 8/10/2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संध अजमेर
2. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर